भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2717**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

विश्व व्यापार संगठन के शुल्क

2717. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत द्वारा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में अमेरिका द्वारा लगाये गये इस्पात और एल्युमीनियम शुल्क को कानूनी और प्रक्रियात्मक आधार पर दी गयी चुनौती को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अस्वीकार कर दिया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उद्धृत डब्ल्यूटीओ चुनौती में भारत द्वारा कथित रूप से की गई प्रक्रियात्मक त्रुटियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समस्याओं को दूर करने और भारत के इस्पात और एल्युमीनियम निर्यात को अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग) : संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस्पात, एल्युमीनियम और संबंधित व्युत्पन्न उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ के संबंध में विश्व व्यापार संगठन के संरक्षोपाय समझौते (एओएस) के अंतर्गत परामर्श के लिए भारत के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अमेरिका का कहना है कि ये उपाय राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर उनके घरेलू कानून की धारा 232 के अंतर्गत लागू किए गए थे। उन्होंने आगे यह बताया कि ये उपाय सामान्य टैरिफ एवं व्यापार समझौते (गैट) 1994 के अनुच्छेद XXI के दायरे के अंतर्गत है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपवादों की अनुमति देता है, और इसलिए उनका मानना है कि ये कार्रवाई विश्व व्यापार संगठन के संरक्षोपाय समझौते के अंतर्गत सुरक्षा उपाय नहीं हैं।

हालाँकि, भारत इन उपायों को सुरक्षा उपाय मानता है जिन्हें एओएस के अंतर्गत अधिसूचित किया जाना चाहिए था और उन पर परामर्श किया जाना चाहिए था। तदनुसार, भारत ने अमेरिका द्वारा एओएस के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन न करने के कारण पर्याप्त रूप से समतुल्य रियायतों (प्रतिक्रिया में समान व्यापार उपाय लागू करने का अधिकार) को निलंबित करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है।

*****